न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 82/2020

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– चनणाराम पुत्र सरदाराराम 2– हरलालराम पुत्र सरदाराराम जातियान मेगवाल निवासीगण ग्राम बाप तहसील बाप जिला जोधपुर		1– किशनलाल पुत्र माणकलाल 2– पूनमचंद पुत्र माणकलाल 3– ओमप्रकाश पुत्र माणकलाल 4– भवानीशंकर पुत्र माणकलाल सभी जातियान पालीवाल निवासीगण ग्राम बाप तहसील बाप, जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी बाप द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 127/2016 अनवान किशनलाल वगैरा बनाम तहसीलदार बाप मे दिनांक 18–10–2016 को पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री रोशनलाल अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री मनोहरलाल पालीवाल अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 से 4 की ओर से ।
3– श्री नवल सिह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 5 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 16–5–2022

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 से 4 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाप के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर उनके खातेदारी ग्राम बाप के खसरा नंबर 580 रकबा 13.14 बीघा भूमि के सेढा–सेढ पडौसी खातेदारो मे मध्य आपस मे विवाद होता रहता है, उक्त विवाद को खत्म करने के लिए अपने खातेदारी के खसरा नंबर 580 रकबा 13.14 बीघा भूमि का सीमांकन किया जाकर सीमांकन रिपोर्ट दिनाक 21–3–2016 के अनुसार मुटाम कायम किये जाने का निवेदन किया । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र मे केवल तहसीलदार बाप को ही पक्षकार बनाया गया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार बाप को नोटिस जारी कर उनका जवाब प्राप्त कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 18–10–2016 के द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 से 4 के प्रार्थना पत्र मे वर्णित खसरा नंबर 580 रकबा 13.14 बीघा भूमि की पत्थरगढी के आदेश पारित कर दिये । जिससे व्यथित होकर अपीलांटगण ने वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है ।

पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित । उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई । वकील अपीलांट ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे कथन किया कि अपीलांटगण ग्राम बाप के खसरा नंबर 581 के खातेदार है जो रेस्पो0गण संख्या 1 से 4 के खातेदारी खसरा नंबर 580 से लगता

हुआ होने से सेढा पडौसी है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलांटगण को पक्षकार बनाये बिना तथा सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस मे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे मौका रिपोर्ट दिनांक 21–3–2016 के अनुसार पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया था परतु दिनांक 21–3–2016 की रिपोर्ट मे खसरा नंबर 580 मे चनणाराम हरलाल पि0 सिरदाराराम जाति मेघवाल (वर्तमान अपीलांटगण) की कच्ची ढाणी बनी हुई है जिसमे इनका परिवार रहवास करता है, का स्पष्ट किया हुआ था इसलिए अपीलांट को पक्षकार बनाना तथा सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक था परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर दिये अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है

वकील अपीलांट ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि पत्थरगढी की आड मे किसी का पजेशन नही हटाया जा सकता है बल्कि कब्जा हटाने के लिए धारा 183 आर.टी.एक्ट के तहत बेदखली का दावा प्रस्तुत करना चाहिये परंतु इस कानूनी बिन्दु पर विचार किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि एवं न्यायसंगत नही होने से निरस्त करने का निवेदन किया ।

अंत मे वकील अपीलांट ने अपीलांटगण की उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाप द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18–10–2016 को निरस्त करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 संख्या 1 से 4 के अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय को विधिसम्मत होना बताते हुए कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 18–10–2016 का है जबकि अपीलांट ने इस न्यायालय हाजा के समक्ष दिनांक 24–7–2020 को अपील प्रस्तुत की है जो मयाद बाहर होने से निरस्त योग्य है । इसके अलावा रेस्पो0 संख्या 1 से 4 अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन आदेश की पालना मे मौके पर दिनांक 28–1–2017 को मौतबिरान के रूबरू पत्थरगढी हो चुकी है इसलिए अपीलांट की यह अपील "इन्फक्सूअस" निष्प्रभावी हो चुकी है जिसकी पुष्टि स्वरूप फार्म नंबर 3 के सलंग्न फर्द मौका दिनांक 28–1–2017 की छायांप्रति प्रस्तुत कर अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश

की पालना मे मौके पर दिनांक 28–1–2017 को पत्थरगढी हो चुकी है इसलिए अपीलांट की उक्त अपील निष्प्रभावी हो जाने से खारीज करने का निवेदन किया ।

अपीलांट अधिवक्ता ने रेस्पो0 संख्या 1 से 4 अधिवक्ता की बहस के प्रत्युत्तर मे कथन किया कि रेस्पो0 अधिवक्ता ने अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का कोई लिखित जवाब या खण्डन नही किया है तथा यह भी कथन किया कि रेस्पो0 ने ऐसा कोई तथ्य प्रकट नही किया है जिससे यह प्रकट हो कि मुझे अपीलाधीन आदेश की जानकारी पूर्व मे हो चुकी थी और मेरे द्वारा जानबूझकर अपील विलंब से प्रस्तुत की हो इसलिए अपीलांट की उक्त अपील को अंदर मयाद सुमार कर गुणावगुण पर निर्णय पारित करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18–10–2016 का अवलोकन एवं अध्ययन किया । पत्रावली मे उपलब्ध रेकर्ड के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि अपीलांट ग्राम बाप के खसरा नंबर 581 का खातेदार है जो खसरा नंबर 580 का पडौसी खातेदार है तथा नक्शे मे खसरा नंबर 580 एवं 581 चिपते हुए खसरा है ।

इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध पटवारी बाप द्वारा तहसीलदार बाप को प्रेषित ग्राम बाप के खसरा नंबर 580 रकबा 13.14 बीघा भूमि के संबंध मे मौका रिपोर्ट दिनांक 21–3–2016 जिसमे स्पष्ट उल्लेख किया हुआ है कि ग्राम बाप के खसरा नंबर 580 मे चनणाराम हरलाल पि0 सिरदाराराम जाति मेघवाल (वर्तमान अपीलांटगण) की कच्ची ढाणी बनी हुई है जिसमे इनका परिवार रहवास करता है, ऐसे मे अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलांट को पक्षकार बनाकर उन्हें सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक था परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना पक्षकार बनाये तथा सुनवाई का अवसर दिये अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया, जो न्याय के प्राकतिक सिद्धान्त के विपरीत होने से समर्थन योग्य नही माना जा सकता है ।

चूँकि अपीलाधीन आदेश अपीलांट को पक्षकार बनाये बिना तथा सुने बिना पारित किया हुआ है तथा अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का कोई लिखित जवाब रेस्पो0 अधिवक्ता ने प्रस्तुत नही किया है और न ही ऐसा कोई तथ्य प्रकट किया है जिससे यह प्रकट हो कि अपीलांट को पूर्व से अपीलाधीन आदेशकी जानकारी हो गई थी ऐसे मे अपीलांट की उक्त अपील को अंदर मयाद सुमार की जाती है ।

इसके अलावा जब अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह तथ्य प्रकट हो चुका था कि वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 से 4 के खसरा नंबर 580 की भूमि पर मौके पर वर्तमान अपीलांटगण की रहवासिय ढाणियां बनी हुई है तथा परिवार सहित निवास कर रहे है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य को नजरअंदाज

करते हुए उनके समक्ष प्रस्तुत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर रेस्पो0 के खसरा नंबर 580 रकबा 13.14 बीघा भूमि पर पत्थरगढी करने बाबत आदेश पारित कर दिया, जो विधिसम्मत नही माना जा सकता है क्योंकि पत्थरगढी अपीलांट को मौके पर से बेदखल करने का विधिक उपाय नही है ।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांटगण की उक्त अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाप द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18–10–2016 निरस्त किया जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 16–5–2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(ओ0 पी0 बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर